2011 का विधेयक सं. 1

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 65 का संशोधन.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 65 की उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 67 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 67 के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 (1) के अधीन, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी अर्थात् राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को किये जाने वाले पुनरीक्षण आवेदन के साथ वसूलीय राशि का पचास प्रतिशत जमा किये जाने का सबूत प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

इसी प्रकार, यदि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी अर्थात् राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा उच्च न्यायालय को निर्देश किया जाता है तो उस आवेदन के साथ वसूलीय राशि का पचास प्रतिशत जमा किये जाने का सबूत प्रस्तुत करना भी आज्ञापक है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. सिविल रिट याचिका सं. 458/06 मैसर्स चौकसी हेरियस प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 01-11-2007 को एक आदेश पारित किया है। उस आदेश में उच्च न्यायालय ने अपील या पुनरीक्षण करते समय, वसूलीय राशि का पचास प्रतिशत जमा कराने के संबंध में रियायत/शिथिलीकरण करने का सुझाव दिया था। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 67 के साथ पठित धारा 65(1) के अनुसार वसूलीय राशि का पचास प्रतिशत जमा किये जाने का सबूत प्रस्तुत करने का उपबंध कठोर होने से और माननीय न्यायालय के सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए इसे पचास प्रतिशत से घटाकर पच्चीस प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14)
से लिये गये उद्धरण

XX **XX** **XX**

65. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण.-(1) अधिनियम के अध्याय 4 और 5 तथा धारा 29 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) और धारा 35 के अधीन कलक्टर द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर-भीतर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगाः

परन्तु ऐसा पुनरीक्षण आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूलीय राशि के पचास प्रतिशत का संदाय किये जाने का समाधानप्रद सबूत उसके साथ नहीं लगा हुआ हो।

(2) **XX** **XX** **XX**

XX **XX** **XX**

67. उच्च न्यायालय को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा मामले का कथन.-मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी धारा 65 के अधीन उसको निर्देशित किये गये या अन्यथा उसकी जानकारी में आये किसी मामले का कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे मामले को, उस पर अपनी राय सहित उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी निर्देश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वसूलीय राशि के पचास प्रतिशत का संदाय किये जाने का सबूत उसके साथ नहीं लगा हुआ हो।

XX **XX** **XX**

Bill No. 1 of 2011

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STAMP (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act,1998.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 65, Rajasthan Act No. 14 of 1999.–In proviso of sub-section (1) of section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998(Act No. 14 of 1999), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "fifty percent", the expression "twenty five percent" shall be substituted.

3. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 14 of 1999.–In proviso of section 67 of the principal Act, for the existing expression "fifty percent", the expression "twenty five percent" shall be substituted.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 65 (1) of the Rajasthan Stamp Act, 1998 it is mandatory to submit the proof of depositing fifty percent of recoverable amount alongwith the revision application to the Chief Controlling Revenue Authority i.e. Rajasthan Tax Board, Ajmer.

Similarly, if reference is made by the Chief Controlling Revenue Authority i.e. the Rajasthan Tax Board, Ajmer to High Court, then, it is also mandatory to submit proof of depositing fifty percent of recoverable amount alongwith the application.

Hon'ble Rajasthan High Court, Jodhpur passed an order on dated 01-11-2007 in D.B. Civil Writ Petition No. 458/06 M/s Choksi Harius Private Ltd. V/s Rajasthan State & Others. In this verdict, the High Court suggested for giving concession/relaxation regarding depositing fifty percent of recoverable amount while preferring an appeal or revision. The provision of submitting proof of depositing fifty percent of recoverable amount as per section 65(1) read with section 67 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 being harsh and keeping in view the Hon'ble Court's suggestion, it is proposed to reduce it to twenty five percent instead of fifty percent.

The Bill seeks to achieve aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998
(Act No. 14 of 1999)

XX XX XX XX

65. revision by Chief Controlling Revenue Authority.-(1) Any person aggrieved by an order made by the Collector under Chapter IV and V and under clause (a) of the first proviso to section 29 and under section 35 of the Act, may within 90 days from the date of order, apply to the Chief Controlling Revenue Authority for revision of such order:

Provided that no revision application shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of fifty percent of the recoverable amount.

(2) XX XX XX XX

XX XX XX XX

67. Statement of case by the Chief Controlling Revenue Authority to High Court.-Chief Controlling Revenue Authority may state any case referred to it under section 65, or otherwise coming to its notice and refer such case, with it own opinion thereon, to the High Court:

Provided that no reference application shall be made under this section unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of fifty percent of the recoverable amount.

XX XX XX XX

2011 का विधेयक सं. 1

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच.आर. कुड़ी
सचिव।

(श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 1 of 2011

THE RAJASTHAN STAMP (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(ASHOK GEHLOT, Minister-Incharge)